

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

(2)

अनुमति वाद संख्या :-162/2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री अमर मुण्डा
श्रीमती पार्वती देवी

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

28.10.20

आदेश

आवेदक श्री अमर मुण्डा पिता स्व० सान्दे मुण्डा ग्राम-मुरही केन्दुवाटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने श्रीमती पार्वती देवी पति श्री लछु मुण्डा ग्राम-शिवा नगर डहुगुट्टू, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
एरेण्डा	240	30	115	0.05

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0383458454 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 859 दिनांक 19.10.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं०-989/970 दिनांक 21.09.2012 के द्वारा क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम वकास्त मालिक लगान पाने वाला सामीलात मालिकान हैं। पंजी II के अनुसार सान्दे मुण्डा के नाम भूमि का 0.05 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 0.05 एकड़ भूमि के आलावे अन्य मौजा मुरही खाता सं०-54 रकबा 2.59 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.64 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 79017.00(उन्नासी हजार सत्तरह)रु० प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.59 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री अमर मुण्डा पिता स्व० सान्दे मुण्डा को श्रीमती पार्वती देवी पति श्री लछु मुण्डा के साथ ग्राम एरेण्डा के खाता सं० 30 खेसरा संख्या 115 कुल रकबा 0.05 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 79017.00(उन्नासी हजार सत्तरह) रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।